डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

दर अदालत–न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)मुकाम–बांदीकुई

दर इजलास–रामसिंह राजावत आर.ए.एस. सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई

उनवान– जगनलाल बनाम कंचन वगै

कंसोलिडेट पत्रावली जगनलाल बनाम पिरजीलाल किशनलाल बनाम अनिल प्रेमचन्द बनाम जगनलाल जगदीश बनाम किशनलाल

दावा तकासमा उदघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर : 182/2019(2022/331)

आदेश है कि वादीगण बाद दावा तकासमा एवं उदघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का खाता संख्या नया 3 पुराना 82 वाके ग्राम असलवरियान की ढाणी पीपुखाड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 297 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 299 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 310 रकबा 0.16 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.40 हैक्टेयर भूमि खाता संख्या नया 18 पुराना 143 वाके ग्राम असलवरियान का बास पीपुखाड़ा खुर्द तहसील बसवा के खसरा नं0 293 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 298 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 307 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 313 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 332 रकबा 0.12 है। कुल किता 5 कुल रकबा 0.53 है0 खाता संख्या 13 ग्राम असलवरियान का बास पीपुखाड़ा खुर्द कुल किता 2 कुल रकबा 0.41 है0 को पैरा नं0 4 में दर्शाया गया है तथा खाता संख्या 12 ग्राम असलवरियान का बास पीपुखाड़ा खुर्द कुल किता 3 कुल रकबा 0.36 है0, खाता संख्या 6 ग्राम असलवरियान का बास पीपुखाड़ा खुर्द के कुल किता 01 कुल रकबा 0.10 है0 खाता संख्या नया 38 पुराना 191 के 220 रकबा 0.19 है0 व खाता संख्या नया 38 पुराना 192 के खसरा नम्बर 221 रकबा 0.14 है0 को खाता संख्या 2 ग्राम डुबलदयान का बास पीपुखाड़ा खुर्द का खसरा नम्बर 218 कुल किता 1 रकबा 0.48 है0 खाता सं0 123 पुराना 105 ग्राम श्यामसिंहपुरा खुर्द तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई के खसरा नं0 1106, 1107, 1108, 1109, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134 कुल किता 26 कुल रकबा 6.15 है0 का दावा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। उक्त वाद में प्रेमचन्द बनाम जगनलाल तथा जगन लाल बनाम पिरजीलाल, जगदीश बनाम किशन लाल किशन लाल बनाम अनिल कन्सोलिडेट प्रकरण है। अतः कन्सोलिडेट प्रकरण खारिज किये जाते है। पर्चा डिक्री जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 17.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

निज.. ......मुद्दईयान ....बनाम.......................................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बसरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। हसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17 माह 02 सन् 2026 को जारी की गई।

17/2/26

(रामसिंह राजावत)

आरएएस

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

बांदीकुई

खर्चा	रूपये	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बयान नकल मुखतारनामा वकील खर्चा मकासल फीस कमिशन खर्चा इतलाय मुकदमा गवाहीक मेहनताना	निल	निल	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी मुखतारनामा वकील खर्चा मकासल फीस कमिशन खर्चा इतलाय मुकदमा गवाहीक मेहनताना	निल	निल

17/2/26

दस्तखत

ओहदा

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)

बांदीकुई

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई

मु. न. 182/2019
न्यायालय हाजा दर्ज प्रकरण संख्या 2022/331
दर्ज दिनांक 24/05/2022
निर्णय दिनांक 17/02/2026

उनवान

1. जगन लाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी अलवरिया की ढाणी पीपूपाड़ा खुर्द तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

—वादी

बनाम

1 कंचन पुत्र स्व. प्रसादी

2 गोपाल पुत्र स्व. प्रसादी

3. मु० लाली देवी पुत्री स्व. प्रसादी

4. मु० भौली देवी स्व. प्रसादी

5. मु० रूकमणी देवी पुत्री स्व. प्रसादी

6. मु० गुल्ली देवी पत्नि स्व. प्रसादी (फौत)

7. चिरंजीलाल पुत्र स्व. किशनलाल

8. मु० बाली देवी पत्नि स्व. किशनलाल (फौत)

9. मु० गीता देवी पुत्री स्व. किशनलाल

10. जगदीश पुत्र स्व. बद्री

11. रामकिशोर पुत्र स्व. बद्री

12 रामलाल पुत्र स्व. खेमला

13. रामप्रताप पुत्र स्व. खेमला (फौत के बजाय)

13/1 बनवारी पुत्र रामप्रताप

13/2 भगन्ती पुत्री रामप्रताप

13/3 मूली उर्फ धौली पुत्री रामप्रताप

13/4 सूरज पुत्र मुकेश

13/5 सचिन पुत्र मुकेश

13/6 नर्बदा पत्नि मुकेश

13/7 छोटी पुत्री मुकेश

14. गोकुल पुत्र स्व. खेमला

15. भगवान सहाय पुत्र बद्री दत्तक पिता बुद्धा

16. मूलचन्द पुत्र स्व. गोविन्दा (फौत)

16/1. नाथी पत्नि स्व. मूलचन्द

16/2. ख्याली पुत्र स्व. मुलचन्द

16/3. छोटेलाल पुत्र मूलचन्द

16/4 जौहरी लाल पुत्र स्व. मूलचन्द

16/5. कस्तूरी पुत्री स्व. मूलचन्द

16/6 चमेली पुत्री स्व. मूलचन्द

17 मु0 गोमा देवी पुत्री स्व. गोविन्दा

18. मु० गुलाब देवी पुत्री स्व. गोविन्दा

19. मु० रामप्यारी पुत्री स्व. गोविन्दा

20. मु० केसर देवी पत्नि स्व. भंभड़

21 रामहेत पुत्र स्व. भंभड़

22. मु० कमोद पुत्री स्व. भंभड़

23. मु. टिन्नू पुत्री स्व. भंभड़
24. मु. मंजू पत्नि स्व. हजारीलाल
25. रामसिंह स्व. हजारीलाल
26. मु0 रामकला पुत्री स्व. हजारीलाल
27 अनिल पुत्र स्व. बाबूलाल
28. मु० शान्ति देवी पत्नि बाबूलाल
29 रामनाथ पुत्र स्व हरसहाय
30. राधेश्याम पुत्र स्व. हरसहाय
31. मु० गोरा देवी पुत्री स्व. हरसहाय
32. प्रेमचन्द पुत्र स्व. भौरया
33. रामजीलाल पुत्र स्व. भौरया
समस्त जाति माली निवासी अलवरिया की ढाणी पीपूपाडा खुर्द तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
34. उप पंजीयन अधिकारी उपपंजीयन कार्यालय बांदीकुई
35. राजस्थान सरकार भूमि धारी तहसीलदार तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
36. प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बांदीकुई
37. प्रबन्धक मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बांदीकुई

—प्रतिवादीगण

पीठासीन अधिकारी (फास्ट ट्रैक)
बांदीकुई

दावा सकास्मा उदघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

कंसोलिडेट पत्रावली जगनलाल बनाम चिरंजीलाल किशनलाल बनाम अनिल प्रेमचन्द बनाम जगनसास जगदीश बनाम किशनलाल

—: निर्णय :—

दिनांक 17.02.2026

वाद वादीगण दावा तकास्मा एवं उदघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई के न्यायालय में पेश किया गया था। जो शीघ्र सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा में स्थानान्तरित होकर पेश हुआ। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है— वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ला0 33 एक ही खानदान के लोग है जिसमे प्रतिवादीगण संख्या 1 ला० 11 बदी पुत्र मंगला तथा प्रतिवादीगण सं० 12 ला० 14 खेमला पुत्र मंगला व जगनलाल प्रतिवादीगण सं० 15 मुद्दा पुत्र मंगला तथा प्रतिवादीगण 16 ला० 26 तथा वादी व प्रतिवादी न 27 लगा0 33 भौरया पुत्र मंगला गोविन्दा पुत्र मंगला के वारिसान है। जिसका सिजरा खानदान निम्न प्रकार से है :—

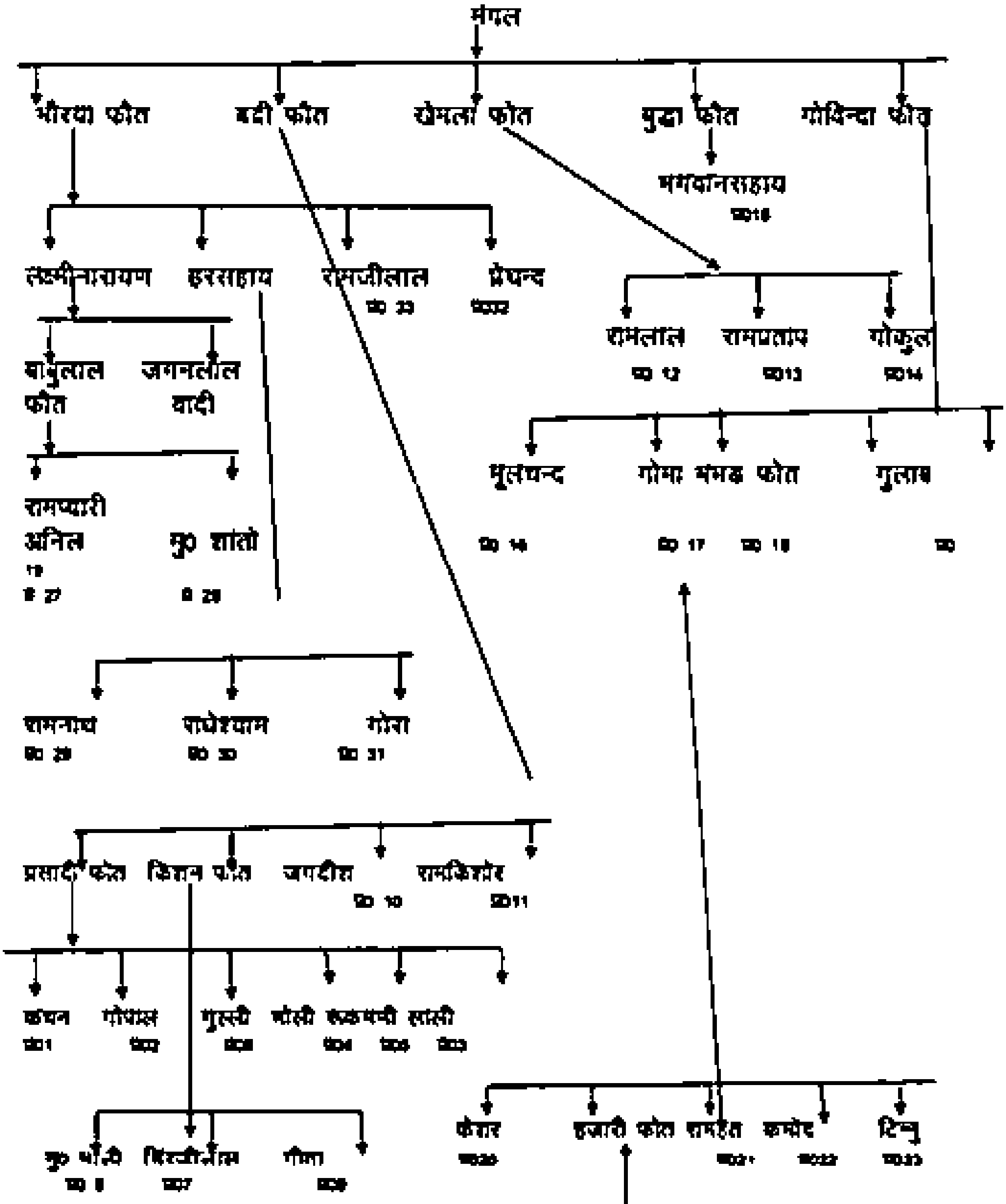

उपखण्ड कलेक्टर (पास)
बांदीकुई

मंगू रामसिंह रामकला

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता० 33 के मृतक पितामह भोरया, बद्री, खेमला, बुद्धा, गोविन्दा की शामलाती पैतृक भूमि उनके स्व० पिता मंगला के समय से खाता संख्या नया 3 पुराना 82 वाके ग्राम अलवरियान की ढाणी पीपूपाड़ा खुर्द तहसील बसवा जिला दौसा के खसरा नम्बर 297 रकबा 0.11 है०, खसरा नं० 299 रकबा 0.13 है०, खसरा नं० 310 रकबा 0.16 है० कुल किता 3 कुल रकबा 0.40 है० जिसके सेटलमैन्ट से पहले के नम्बर 92/2, 110/2, व 118/2 रहे है, जो वादी व प्रतिवादीगण के पितामह मंगल के नाम थी जिसमे वर्तमान जमाबंदी मुताबिक प्रतिवादी सं० 1 व 2 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी नं० 3 ता० 5 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी नं० 6 का 1/24 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं० 7 ता० 10 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 11 का 1/4 हिस्सा जो मृतक बद्री के वारिसान है मे मृतक पितामह मंगला के नाम से चली आ रही भूमि में गलत तौर से राजस्व कर्मचारीयो से साज करके अपने नाम गलत खातेदारी करवाली जिसे शून्य करार की जाकर मंगला के वारिसान मे बराबर बराबर 1/5, 1/5 हिस्सा कर तकासमा किया जाना आवश्यक है। भूमि खाता संख्या नया 18 पुराना 143 वाके ग्राम अलवरियान का बास पीपूपाड़ा खुर्द तहसील बसवा के खसरा नं० 293 रकबा 0.15 है०, खसरा नं० 298 रकबा 0.02 है०, खसरा नं० 307 रकबा 0.11 है०, खसरा नं० 313 रकबा 0.13 है०, खसरा नं० 332 रकबा 0.12 है। कुल किता 5 कुल रकबा 0.53 है० है, जिसके सेटलमैन्ट पूर्व नम्बर 92/2, 93/2, 100/2, 100/3, व 102 रहे थे जिसे प्रतिवादी नं० 12 ता० 14 ने गलत तौर से स्वयं के नाम राजस्व कर्मचारीयो से सांठ गांठ कर गलत तौर से अपने नाम दर्ज कराली। जिसे शून्य करार दी जाकर उपरोक्त भूमि को मंगला के पुत्रो भोरया, बुद्धा, बद्री, खेमला, गोविन्दा में 1/5, 1/5 हिस्से अनुसार तकासमा किया जाना आवश्यक है। खाता संख्या नया 13 पुराना 34 वाके ग्राम अलवरियान का बास पीपूपाड़ा खुर्द तहसील बसवा के खसरा नं० 296 रकबा 0.30 है०, खसरा नं० 312 रकबा 0.11 है०, कुल किता 2 कुल रकबा 0.41 है०, जिसके सेटलमैन्ट पूर्व के नम्बर 94/1 तथा 109/1 रहे थे जिसे प्रतिवादी सं० 18 ता० 26 ने गलत तौर से राजस्व अधिकारीयो से मिलकर गलत रूप से दर्ज की गई जिसमे मंगला के सभी पांचो पुत्रो भोरया, बद्री, बुद्धा, खेमला, गोविन्दा का 1/5, 1/5 हिस्सा था जो मौजूदा जमाबंदी वादी व प्रतिवादी के विरूद्ध शून्य करार की जाकर शामिल की मानी जाकर भूमि को सिजरा खानदान मुताबिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त मंगला की भूमि खाता संख्या नया 12 पुराना 9 वाके ग्राम अलवरियान का बास पीपूपाड़ा खुर्द तहसील बसवा जिला दौसा के खसरा नं० 294 रकबा 0.20 है०, खसरा नं० 295 रकबा 0.04 है०, खसरा नं० 311 रकबा 0.12 है०, कुल किता 3 कुल रकबा 0.36 है०, को मंगला के पुत्र बुद्धा के दत्तक पुत्र भगवान सहाय प्रतिवादी नं० 15 ने गलत तौर से खातेदारी स्वय के नाम दर्ज करायी जबकि उपरोक्त भूमि भी मंगला के नाम से थी जिसके सेटलमैन्ट पूर्व नम्बर 101/1 रहे थे जिसे प्रतिवादी भगवान सहाय ने अपने नाम गलत तरीके से राजस्व अधिकारीयो से मिलकर दर्ज करायी है जिसे शून्य करार दी जाकर मंगला के पांचो पुत्र के हिस्सा 1/5, 1/5 के अनुसार तकासमा किया जाना आवश्यक है। उपरोक्तानुसार मंगला की भूमि खाता संख्या नया 5 पुराना 43 वाके ग्राम अलवरियान का बास पीपूपाड़ा खुर्द तहसील बसवा जिला दौसा में खसरा नं० 284 रकबा 0.10 है० कुल किता 1 कुल रकबा 0.10 है। जिसे प्रतिवादी सं० 10 ने गलत तौर से स्वय के नाम साज राजस्व कर्मचारीयो के खातेदारी दर्ज कराली जबकि उक्त भूमि मंगला के वारिसान होने से शामिल की रही है जिसकी मौजूदा जमाबंदी शून्य करार दी जाकर उक्त भूमि को मंगला के वारिसान में 1/5, 1/5 हिस्से अनुसार तकासमा किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त मंगला की भूमि खाता संख्या नया 38 पुराना 192 वाके ग्राम दुबसदयान का बास पीपूपाड़ा खुर्द तहसील बसवा जिला दौसा के खसरा नं० 221 रकबा 0.14 है०, कुल किता 1 कुल रकबा 0.14 है० जिसके सेटलमैन्ट से पूर्व के नम्बर 64/1,65/4, 65/2, 64/2 रहे है जो प्रतिवादी नं० 16 के नाम गलत दर्ज हो गयी थी इसी प्रकार खाता संख्या नया 38 पुराना 191 के खसरा नं० 220 रकबा 0.19 है० कुल किता 1 कुल रकबा 0.19 है० जिसके सेटलमेन्ट पूर्व के खसरा नं० 64/1, 65/2, 65/4, 65/3 रहे है उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 20 ता० 24 के पिता धंमक के नाम गलत

अति० कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
बांदीकुई

दर्ज हो गयी जिसे शून्य करार किया जाकर मंगला के वारिसान पांचो पुत्रो में बराबर बराबर विभाजित कर तकासम किया जाना आवश्यक है। खाता संख्या नया व पुराना 2 वाके दुबलदयान का बास पीपूपाडा खुर्द मे खसरा नं0 218 रकबा 0.49 है० स्थित है। को वादी व प्रतिवादी नं0 27 ला० 33 हिस्सा 1/5 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हिस्सा 1/60, प्रतिवादी संख्या 3 ला० 5 हिस्सा 1/40, प्रतिवादी सं० 6 हिस्सा 1/120, प्रतिवादी संख्या 7 ला0 11 हिस्सा 3/20, प्रतिवादी सं० 16 ला० 26 हिस्सा 1/5 प्रतिवादी संख्या 12 ला० 14 हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 15 हिस्सा 1/5 है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण के स्व० पितामह भीरया, बद्री, खेमला, बुद्धा, गोविन्दा के वारिसान का भूमि पैतृक होने से विधिवत तकासम किया जाकर अलग अलग खाते खोले जावे। उपरोक्त खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 123 पुराना 105 वाके रामा श्यालावास खुर्द तहसील बसवा जिला दौसा के खसरा नम्बर 1106 रकबा 0.04 है०, खसरा नं0 1107 रकबा 0.02 है०, खसरा नं0 1108 रकबा 0.12 है०, खसरा नं0 1109 रकबा 0.76 है०, खसरा नं0 1112 रकबा 0.36 है०, खसरा नं0 1113 रकबा 0.4 है०, खसरा नं0 1114 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 1115 रकबा 0.14 है०, खसरा नं0 1116 रकबा 0.10 है०, खसरा नं0 1117 रकबा 0.03 है०, खसरा नं0 1118 रकबा 0.03 है०, खसरा न 0 1119 रकबा 0.03 है०, खसरा नं0 1120 रकबा 0.03 है०, खसरा नं0 1121 रकबा 0.04 है०, खसरा नं0 1122 रकबा 0.73 है०, खसरा नं0 1124 रकबा 0.76 है०, खसरा नं0 1125 रकबा 0.13 है०, खसरा नं0 1126 रकबा 0.13 है०, खसरा नं0 1127 रकबा 0.10 है०, खसरा नं0 1128 रकबा 0.09 है०, खसरा नं0 1129 रकबा 0.15 है०, खसरा नं0 1130 रकबा 0.18 है०, खसरा नं0 1131 रकबा 0.14 है०, खसरा नं0 1132 रकबा 0.12 है०, खसरा नं0 1133 रकबा 0.22 है०, खसरा नं0 1134 रकबा 0.12 है० कुल किता 26 कुल रकबा 5.15 है० जिसमें प्रतिवादी सं० 27, 28 हिस्सा 1/40, वादी का हिस्सा 1/40, प्रतिवादी सं० 29, 30, 31 का हिस्सा 1/20, प्रतिवादी संख्या 32,33 हिस्सा 1/10, प्रतिवादी सं० 12 ला० 14 का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 1 ला० 6 का हिस्सा 1/20, प्रतिवादी संख्या 7 ला0 11 का हिस्सा 3/20, प्रतिवादी सं० 16 ला0 26 का हिस्सा 1/5, व प्रतिवादी संख्या 15 का हिस्सा 1/5 जो कि शामिल की खातेदारी है जिसको पृथक पृथक कर तकासमा कर वादी व प्रतिवादीगण के अलग अलग खाते खोले जावें। उपरोक्तानुसार मौजूदा जमाबंदी खाता संख्या नया 3 वाके रामा अलवरियान का बास पीपूपाडा खुर्द की कुल किता 3 कुल रकबा 0.40 है० उपर वर्णित भूमि पैरा नं0 2 की तथा खाता संख्या 18 वाके रामा अलवरियान का बास पीपूपाडा खुर्द की कुल किता 5 कुल रकबा 0.53 है०, उपर वर्णित पैरा नं0 3 में अंकित किया है तथा खाता संख्या 13 रामा अलवरियान का बास पीपूपाडा खुर्द कुल किता 2 कुल रकबा 0.41 है0 को पैरा नं0 4 मे दर्शाया गया है तथा खाता संख्या 12 रामा अलवरियान का बास पीपूपाडा खुर्द कुल किता 3 कुल रकबा 0.36 है०, को पैरा नं0 5 मे दर्शाया गया है तथा खाता संख्या 5 रामा अलवरियान का बास पीपूपाडा खुर्द के कुल किता 01 कुल रकबा 0.10 है० को पैरा नं0 6 मे अंकित है। इसी प्रकार खाता संख्या नया 36 पुराना 191 के रकबा 0.14 है० व खाता संख्या नया 36 पुराना 192 के रकबा 0.19 है० को उपर वर्णित पैरा नं0 7 मे अंकित किया गया है तथा खाता संख्या 2 रामा दुबलदयान का बास पीपूपाडा खुर्द का कुल रकबा 0.49 है० जिसे पैरा नं0 8 मे अंकित किया गया है तथा खाता सं० 123 रामा श्यालावास खुर्द तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई में कुल किता 26 कुल रकबा 5.15 है० है जिसे पैरा नं0 9 मे वर्णित किया है उपरोक्त भूमियात मृतक मंगला के पांचो पुत्रों भीरया, बद्री, खेमला, बुद्धा व गोविन्दा के वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लां० 33 के हक मे 1/5, 1/5 के भाग मे विधिवत तकासम कराना आवश्यक हुआ है तथा खाता संख्या 3, 18, 13, 12, 5, 36 को अकेले प्रतिवादीगण ने अपने नाम करायी जमाबंदी को शून्य करार दी जाकर तकासम किया जाना आवश्यक है। वादी व प्रतिवादीगण का काफी बडा परिवार हो जाने से आये दिन उपरोक्त शामिल की भूमि को लेकर तथा लगान आदि के बारे मे विवाद होते रहते है तथा परिवार मे तनाव बढने लगा है इसलिये उपरोक्त समस्त खातो की भूमियात का विधिवत तकासम कराना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण सभी अपने अपने हिस्से की भूमियात व दर्ज रिकॉर्ड की आड में अपने अपने कब्जे व रिकोर्ड के विशेष नम्बरान की भूमियात को खुर्द बुर्द कर बेचान करने व भूमि पर अवैध निर्माण करने पर तुले हुये है तथा खेतो से मिट्टी वगैराह को बिना सहमति के बेचने लगे है, जिस पर प्रतिवादीगणो में विवाद होते रहते है। इसलिये फौरी ही प्रतिवादीगण को भूमि उपरोक्त व उसमे किसी नम्बर को किसी दीगर व्यक्ति को रहन बय नही करने तथा बिना तकासम के निर्माण नही करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराना

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
दौसा

आवश्यक हो गया है अन्यथा फरीकेन में संगीन झगड़ा फिसाद होकर मिनख मरायी हो जावेगी दिनांक 02.08.2018 को वादी ने प्रतिवादीगण जिन्होने सेटलमेन्ट से पूर्व गलत तौर पर अपने नाम करायी है उसे शून्य कराकर तकास्म कराने को कहा तो पक्षकारान नाराज हो गये व तकास्म कराने से इंकार हो जाने से दावा तकास्म उदघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना लाजिम आया है। प्रतिवादीगण संख्या 34 व 35 राजस्थान सरकार के नुमाईन्दा भूमि धारक है जिन्हे आवश्यक होने से पक्षकार व प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी संख्या 36 व 37 से ऋण आदि प्राप्त किया है इस कारण आवश्यक पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। विनाय दावा व विनाय मुखासमत योम इंकारी तकासमा व उदघोषणा दिनांक 02.08.2018 को न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पैदा होने से दावा अन्दर मियाद पेश है। हम चूंकि किस्म के दावेजात के लिये कानूनन न्याय शुल्क निर्धारित होने से दावा हाजा 6 रूपये कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः दावा हाजा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर से डिक्री फरमाया जावे कि – भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नं0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वाद पत्र खसरा नं0 297, 299, 310 कुल किता 3 कुल रकबा 0.40 है0, खसरा नं0 293, 298, 307, 313, 332, कुल किता 5 कुल रकबा 0. 53 है०, खसरा नं0 296, 312 कुल किता 2 कुल रकबा 0.36 है0, खसरा नं0 284 कुल रकबा 0.10 है०, वाके ग्राम अलवरियान का बास पीपूपाड़ा खुर्द तहसील बसवा जिला दौसा तथा खसरा नं० 216 रकबा 0.49 है० वाके ग्राम दुबलदयान का बास पीपूपाड़ा खुर्द तहसील बसवा जिला दौसा की भूमियात वादी व प्रतिवादीगण के पितामह मंगला की रही है जिसे प्रतिवादीगण ने सेटलमैन्ट से पूर्व राजस्व कर्मचारीयो से सांठ गांठ कर अपने नाम कराली उसे शून्य करार की जाकर वादी व प्रतिवादीगण के पितामह के पांचो पुत्रो भौरया, बद्री, खेमला, बुद्धा, व गोविन्दा के वारिसो मे हिस्सा 1/5, 1/5 के अनुसार तकास्म किया जाकर मुताबिक तकास्म राजस्व रिकार्ड मे अलग अलग खातेदारी खोली जाकर लगान आदि का बंटवारा कर मौके पर कब्जे अनुसार पक्षकरान को कब्जा सम्भलाया जावे। भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नं० 9 वाद पत्र खसरा नं० 1106, 1107, 1108, 1109, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134 कुल किता 26 कुल रकबा 5.15 है० वाके ग्राम श्यालावास खुर्द तहसील बसवा जिला दौसा का विधिवत तकासम किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण का अलग अलग तकास्म किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण का अलग अलग खाता व अलग अलग लगान कायम किया जाकर अलग अलग पास बुकें जारी की जावें। जब तक वादी व प्रतिवादीगण में विधिवत तकास्म होकर अलग अलग खाते कायम न हो जावे तब तक किसी दीगर शख्स को रहन बय न करें व हस्तान्तरित न करें, खाम व पुख्ता निर्माण न करे तथा पेड़ पोधो को खोदने से काटने से वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से स्वय या अपने एजैन्टो नौकरो घरवालो या अन्य मददगारान के दवामि तौर से पाबंद रहे एव प्रतिवादी सं० 36 बहैसियत उपपंजीयन अधिकारी भूमि मुतदाविया की बाबत पेश किये जाने वाले किसी भी रहननामा बयनामा आदि को पंजीयन करने से एव बहैसियत भूअभिलेख तहसीलदार भूमि के राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार की तब्दीली करने से स्वय व अपने अधिनस्थ कर्मचारीयो के पाबंद रहें। मौके व राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थित बनाये रखे। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता० 33 से दिलाया जावें । अन्य दादरसी जो करीने इंसाफ बहक वादी हो और अता फरमायी जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रकरण में दिनांक 04.03. 2020 मु.न. 92/2017 किसन लाल बनाम जगदीश, मु०न. 111/2017 किशन बनाम अनिल .140/2017 जगन लाल बनाम चिरंजीलाल प्रस. 46/18 प्रेम चन्द बनाम जगन लाल कन्सोलिटेडेट किया गया तथा प्रकरण मे प्रकरण जगदीश बनाम किशन लाल दिनांक 17.11. 2022 को कन्सोलिडेट किये गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 27 से 33 की ओर से जवाब दावा निम्न प्रकार पेश किया गया। प्रतिवादी 27 से 33 की ओर से जवाब दावा निम्न लिखित प्रस्तुत है – दावे हाजा का पैरा नम्बर 01 में वादी एवं प्रतिवादी का एक ही खानदान के लोग होना स्वीकार है परन्तु शिजरा खानदान में सभी को पक्षकार वारिसान नही बनाया गया है। वदी वजह गलत होने से अस्वीकार है क्योंकि गोविन्दा की एक पुत्री रामप्यारी को शिजरा खानदान में दर्शित नही किया है। दावे हाजा के पैरा नम्बर 02 में भौरया, बद्री, खेलन्या, बुद्धा व गोविन्दा की सामलाती पैतृक भूमि खाता संख्या 3 में सभी 1/5, 1/5, के हिस्सेदार होना तथा प्रतिवादी संख्या जो बद्री के वारिसान है ने गलत खातेदारी खुलवाना स्वीकार है। दावे का पैरा नम्बर 03 गलत है खातेदारी खुलवाना व सभी भौरया, बद्री, खेमला,

[signature]

नकलक प्रतिलिपिकार (फास्ट ट्रैक) ...

बुद्धा व गोविन्दा के वारिसान का समान 1/5, 1/5 हिस्सा होना स्वीकार है। दावे का पैरा नम्बर 04 स्वीकार है।दावे का पैरा नम्बर 05 स्वीकार है। दावे का पैरा नम्बर 06 स्वीकार है।दावे का पैरा नम्बर 07 स्वीकार है।दावे का पैरा नम्बर 08 स्वीकार है। दावे का पैरा नम्बर 09 स्वीकार है।दावे का पैरा नम्बर 10 स्वीकार है।दावे का पैरा नम्बर 11 स्वीकार है। दावे का पैरा नम्बर 12 स्वीकार है। दावे का पैरा नम्बर 13 स्वीकार है।दावे का पैरा नम्बर 14 स्वीकार है।दावे का पैरा नम्बर 15 स्वीकार है। दावे का पैरा नम्बर 16 कानूनी होने से स्वीकार है। अतः जवाब दावा पेश है। प्रतिवादी संख्या नं० 7 व 9 की ओर से निम्नलिखित–1. वाद पत्र का जिमननं० 1 स्वीकार है।वाद पत्र का जिमन नं० 2 स्वीकार है।वाद पत्र का जिमननं० 3 गलत है स्वीकार नही है।वाद पत्र का जिमन नं० 4 गलत है स्वीकार नही है।वाद पत्र का जिमननं 5 गलत है स्वीकार नही है।वाद पत्र का जिमननं० 6 गलत है स्वीकार नही है।वाद पत्र का जिमननं० 7 गलत है स्वीकार नही है।वाद पत्र का जिमननं० 8 गलत है स्वीकार नहीं वाद पत्र का जिमननं० 9 गलत है स्वीकार नही है।वाद पत्र का जिमननं० 10 गलत है स्वीकार नहीं है।वाद पत्र का जिमननं० 11 गलत है स्वीकार नहीं है।वाद पत्र का जिमननं० गलत है स्वीकार नही है।वाद पत्र का जिमननं 13 गलत है स्वीकार नही है।वाद पत्र का जिमननं० 14 कानूनी है मोहताज नही है। वाद पत्र का जिमनन 15 कानूनी है ।
16 यह है कि वाद पत्र का जिमनन 16 कानूनी है।

इस्तदुआ दादरसी जो वादी द्वारा चाही गई है गलत है स्वीकार नहि है। क्योंकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने पूर्वजो के समय से भूमि मुतदाविया को बांट रखी है और उसी अनुसार भूमि मुतदाविया पर मौके पर काबिज है और काबिज अनुसार व हिस्से अनुसार जमाबन्दी रिकोर्ड पूर्वजो के वारिसान के सही नामान्तकरण खुल करके दो रिकार्ड किया गया है वादी से मनगढन्त एवम गलत तथ्यो के आधार पर दावा दायर किया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त कथन— वादी एवम प्रतिवादीगण के मध्य दावा जगन लाल बनाम कंचन लाल एवं किशन बनाम जगदीश, प्रेमचन्द बनाम जगन लाल, जगन लाल बनाम चिरजी लाल, किशन बनाम अनिल गोपाल बनाम जगदीश, जगदीश बनाम किशन दावा कंचन बनाम जगन लाल बनाम कंचन लाल के साथ कन्सोलीडेट है और वादीगण एवं प्रतिवादीगण। लगा० 33 ने अपने पूर्वजो के समय से बाहमी बटवारा करके बाहमी बटवारे अनुसार काश्त करते चले आ रहे है एवम उसी अनुसार अपने अपने किते पर मकानात व बारिंग बनाकर के रिहायश करते से आ रहे है। और बाहमी बटवारे अनुसार सभी पक्षकारान ने अपने अपने हिस्से की भूमि को मेहनत व लागत लगाकर के उबड खाबड व उचे उचे टीलो को समतल करके काबिज काश्त बनाई है और उसी अनुसार सब अपने अपने हिस्सो पर आज दिन तक मौके पर काबिज है। इसलिये सभी कन्सोलिडेट दावो से इसी जवाब दावे को जवाब दावा मान लिया जावे। और और उनवानी दावा गोपाल बना जगदीश मे वादीगण को उक्त वाद के हिस्से की जमीन पक्षकारान के पूर्वजो के समय से ही बांट रखी थी और उसी अनुसार वादीगण एवम प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सो पर काबिज है वादी ने उक्त भूमि मेगा हाइवे पर आ जाने के कारण मन मे बदयानिा उत्पन्न हो गई और वादीगण ने झगडा फिसाद करने लग गया और गलत तथ्यो के आधार पर उक्त वाद दायर किया है उक्त वाद की विवादित भूमि के मध्य वादीगण एवं प्रतिवादीगण मे फौजदारी मुकदमे मे भी विचाराधीन है। और वादीगण अब जबरन प्रतिवादीगण के कब्जा सुदा भूमि पर काबिज होने की नियत से वाद दायर किया जो खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण मे प्रतिवादीगण का उक्त जवाब पेश होने पर प्रकरण मे निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गई:–

तनकी संख्या 1 आया वादी वाद पत्र मे अंकित भूमि मुतदाविया वादी व प्रतिवादीगण के पितामह के पांचो पुत्रो भैरया बद्री खेमल्या , बुद्धा व गोविन्दा के वारिसो मे हिस्सा 1/5, 1/5 के अनुसार तकास्मा करवाकर अलग–अलग खातेदारी करवाने का अधिकारी। वादी
तनकी संख्या 2 आया वादी वादग्रस्त भूमि मे उद्घोषणा करवाने का अधिकारी है। वादी।
तनकी संख्या 3. आया वादी वादग्रस्त भूमि मे विधिवत तकास्मा न हो तब तक प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। वाद______।
तनकी संख्या 4 आया प्रतिवादीगण 27–33 वादी द्वारा प्रस्तुत दावा स्वीकार योग्य है।

प्रशासक प्रेसीडेंट (पेशकार) टैक्सी
चाँदपुर

34 ग्राम अलवरिया का बास खसरा नं0 296, 312 कुल किता 2 मूलचन्द भब्बड पि. गोविन्दा गोमा गुलाब रामप्यारी पुत्री गोविन्दा हि. फहीम माली सा. देह खातेदार है। प्रदर्श 4 भूमि खाता संख्या नया 12 पुराना 9 वाके ग्राम अलवरियान का बास पीपूपाड़ा खुर्द तहसील बसवा जिला दौसा के खसरा नं0 294 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 295 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 311 रकबा 0.12 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.36 है0 भगवान सहाय दत्तक पुत्र बुध्दा जाति माली सा. देह के नाम दर्ज, प्रदर्श 5 ग्राम अलवरियान का बास सम्वत 2072–2075 खाता संख्या नया 5 पुराना 43 के खसरा नम्बर 284 की खातेदारी जगदीश पुत्र बद्रीलाल जाति माली के नाम दर्ज प्रदर्श –5 खाता संख्या नया 5 पुराना 43 के खसरा नम्बर 284 जगदीश पुत्र बद्रीलाल जाति माली प्रदर्श 8 दुबतदयान का बास खाता संख्या 36 पुराना 192 मूलचन्द पुत्र गोविन्दराम के नाम दर्ज प्रदर्श 9 जगदीश पुत्र बद्रीलाल खाता संख्या नया 36 पुराना 191 , प्रदर्श 10 श्यालावास खुर्द सम्वत 2070– 2073 खाता संख्या नया 123 पुराना 105 शान्ति पत्नी स्व. बाबूलाल अनिल पुत्र बाबूलाल जगन लाल पुत्र लक्ष्मीनारायण रामनाथ राधेश्याम पि. हरसहाय गोरा पुत्री हरसहाय , रामजीलाल, प्रेम पि. भौरया , रामलाल रामप्रताप गोकुल पि खेमा, गुल्ली देवी पत्नी परसादी कंचन गोपाल पि. परसादी लाली मोली रूकमणी पुत्री परसादी, किशन लाल जगदीश रामकिशोर पि. बद्री मूलचन्द भब्बड पि. गोविन्दा , भगवान सहाय पिता बुद्धा राम, प्रदर्श 11 जमाबन्दी सवत 2055–57 प्रदर्श 12 जमाबन्दी संवत 2027, प्रदर्श 13 खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2008 लगायत 2022, प्रदर्श 14 सम्वत 2052 से 2071, प्रदर्श 15 भूमि एकीकरण सम्वत 2052 से 2071 पेश किये गये है।

वादीगण कथन है कि भूमि मुतदाविया वादी व प्रतिवादीगण के पितामह के पांचो पुत्रो भौरया बद्री खेमल्या , बुद्धा व गोविन्दा के वारिसो मे हिस्सा 1/5, 1/5 के अनुसार तकासमा करवाकर अलग–अलग खातेदारी करवाने का अधिकारी। वादी द्वारा पेश प्रदर्श 11 प्रदर्श 12 प्रदर्श 13 प्रदर्श 14 प्रदर्श 15 के अनुसार वादग्रस्त भूमि का पूर्व से ही वादी एवं प्रतिवादीगण के पितागण मे बटवारा हो चुका है। उक्त खातेदारी अलग–अलग किस प्रकार आयी है इसका कोई दस्तावेज पत्रावली मे पेश नही किया गया है। गोविन्दा पुत्र मगल्या के वारिसान द्वारा पेश पर्चा लगान भूप्रबन्ध विभाग खसरा नम्बर 296, 312 प्रदर्श 7 के अनुसार गोविन्दा पुत्र मंगला के नाम भूप्रबन्ध विभाग से खातेदारी होना प्रतीत होती है। इसलिये वादग्रस्त भूमि का 1/5, 1/5 हिस्से की खातेदारी नही दी जा सकती है। वादी तनकी संख्या 1 व 2 को साबित करने में असफल रहा है।

तनकी संख्या 3, आया वादी वादग्रस्त भूमि मे विधिवत तकासमा न हो तब तक प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन के आधार पर वादग्रस्त भूमि मे 1/5 हिस्से की खातेदारी चाही गई है। जिसको साबित करने मे असफल रहे है। भूमि वादग्रस्त की पक्षकारान की अलग खातेदारी है इसलिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही करवा सकते है। तनकी संख्या 3 को साबित करने अफल रहे है।

तनकी संख्या 4 आया प्रतिवादीगण 27–33 वादी द्वारा प्रस्तुत दावा स्वीकार योग्य है।
उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी 27–33 पर है उनके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किये गये है। वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजात के आधार पर वादी द्वारा वाद मे चाही गई इस्तदुआ नही दी जा सकती है। उक्त तनकी को साबित करने में प्रतिवादी 27–33 असफल रहे है।
तनकी संख्या 5 आया प्रतिवादी 7 व 9 दावा गलत आधारो पर प्रस्तुत किया गया है। दावा खारिज कराने के अधिकारी है। तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन के आधार पर वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा नही बनता है। इसलिये उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 7 व 9 के पक्ष मे तय की जाती है।

अनुतोष:– तनकी संख्या 1 लगायत 5 के विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद को साबित करने में असफल रहे है। उक्त पत्रावली मे प्रेमचन्द बनाम जगनलाल तथा जगन लाल बनाम चिरंजीलाल, जगदीश बनाम किशन लाल , किशन लाल बनाम अनिल कन्सोलिडेट है। इसलिये उक्त प्रकरण के साथ साथ कन्सोलिडेट प्रकरण खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वादीगण दाद दावा तकासमा एवं उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का खाता संख्या नया 3 पुराना 82 वाके ग्राम अलवरियान की ढाणी पीपूपाड़ा खुर्द के खसरा

उपखण्ड अधिकारी (घाटा ट्रैक)
बसवा

नम्बर 297 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 299 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 310 रकबा 0.16 है० कुल किता 3 कुल रकबा 0.40 है0भूमि खाता संख्या नया 16 पुराना 143 वाके ग्राम अलवरियान का बास पीपूपाडा खुर्द तहसील बसवा के खसरा नं० 293 रकबा 0.15 है०, खसरा नं0 298 रकबा 0.02 है०, खसरा नं० 307 रकबा 0.11 है०, खसरा नं0 313 रकबा 0.13 है० खसरा नं० 332 रकबा 0.12 है। कुल किता 6 कुल रकबा 0.53 है० खाता संख्या 13 ग्राम अलवरियान का बास पीपूपाडा खुर्द कुल किता 2 कुल रकबा 0.41 है0 को पैरा नं0 4 मे दर्शाया गया है तथा खाता संख्या 12 ग्राम अलवरियान का बास पीपूपाडा खुर्द कुल किता 3 कुल रकबा 0.36 है०, खाता संख्या 5 ग्राम अलवरियान का बास पीपूपाडा खुर्द के कुल किता 01 कुल रकबा 0.10 है० खाता संख्या नया 36 पुराना 191 के 220 रकबा 0.19 है० व खाता संख्या नया 38 पुराना 192 के खसरा नम्बर 221 रकबा 0.14 है० को खाता संख्या 2 ग्राम दुबलदयान का बास पीपूपाडा खुर्द का खसरा नम्बर 216 कुल किता 1 रकबा 0.49 है० खाता सं० 123 पुराना 105 ग्राम श्यालयास खुर्द तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई के खसरा नं० 1106, 1107, 1108, 1109, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134 कुल किता 26 कुल रकबा 5.15 है० का दावा पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। तथा उक्त वाद मे प्रेमचन्द बनाम जगनलाल तथा जगन लाल बनाम चिरंजीलाल, जगदीश बनाम किशन लाल किशन लाल बनाम अनिल कन्सोलिडेट प्रकरण है। अतः कन्सोलिडेट प्रकरण खारिज किये जाते है। पर्चा डिक्री जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 17.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

17/2/26
(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
दौसा

आवश्यक हो गया है अन्यथा फरीकेन में संगीन झगड़ा फिसाद होकर मिनख मरायी हो जायेगी दिनांक 02.08.2018 को वादी ने प्रतिवादीगण जिन्होने सेटलमेन्ट से पूर्व गलत तौर पर अपने नाम करायी है उसे शून्य कराकर तकासम्म कराने को कहा तो पक्षकारान नाराज हो गये व तकासम्म कराने से इंकार हो जाने से दावा तकासम्म उदघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना लाजिम आया है। प्रतिवादीगण संख्या 34 व 35 राजस्थान सरकार के नुमाईन्दा भूमि धारक है जिन्हे आवश्यक होने से पक्षकार व प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी संख्या 36 व 37 से ऋण आदि प्राप्त किया है इस कारण आवश्यक पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। बिनाय दावा व बिनाय मुखासमत योम इंकारी तकासमा व उदघोषणा दिनांक 02.08.2018 को न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पैदा होने से दावा अन्दर मियाद पेश है। हम चूंकि किस्म के दावेजात के लिये कानूनन न्याय शुल्क निर्धारित होने से दावा हाजा 6 रूपये कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः दावा हाजा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर से डिक्री फरमाया जावे कि – भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नं० 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. वाद पत्र खसरा नं० 297, 299, 310 कुल किता 3 कुल रकबा 0.40 है०, खसरा नं० 293, 296, 307, 313, 332, कुल किता 5 कुल रकबा 0. 53 है०, खसरा नं० 296, 312 कुल किता 2 कुल रकबा 0.38 है०, खसरा नं० 284 कुल रकबा 0.10 है०, वाके ग्राम अलफरियान का बास पीपूपाड़ा खुर्द तहसील बसवा जिला दौसा तथा खसरा नं० 218 रकबा 0.49 है० वाके ग्राम दुबलदवान का बास पीपूपाड़ा खुर्द तहसील बसवा जिला दौसा की भूमियात वादी व प्रतिवादीगण के पितामह मंगसा की रही है जिसे प्रतिवादीगण ने सेटलमैन्ट से पूर्व राजस्व कर्मचारीयों से सांठ गांठ कर अपने नाम करली उसे शून्य करार की जाकर वादी व प्रतिवादीगण के पितामह के पांचो पुत्रो भौरया, बद्री, खेमला, बुद्धा, व गोविन्दा के वारिसो में हिस्सा 1/5, 1/5 के अनुसार तकासमा किया जाकर मुताबिक तकासम्म राजस्व रिकार्ड में अलग अलग खातेदारी खोली जाकर लगान आदि का बंटवारा कर मौके पर कब्जे अनुसार पक्षकरान को कब्जा सम्भलाया जावे। भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नं० 9 वाद पत्र खसरा नं० 1106, 1107, 1108, 1109, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134 कुल किता 26 कुल रकबा 5.15 है० वाके ग्राम श्यालावास खुर्द तहसील बसवा जिला दौसा का विधिवत तकासम्म किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण का अलग अलग तकासम्म किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण का अलग अलग खाता व अलग अलग लगान कायम किया जाकर अलग अलग पास बुके जारी की जावे। जब तक वादी व प्रतिवादीगण में विधिवत तकासम्म होकर अलग अलग खाते कायम न हो जावे तब तक किसी दीगर सख्स को रहन बय न करें व हस्तान्तरित न करें, खाम व पुख्ता निर्माण न करे तथा पेड़ पोधो को खोदने से काटने से वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से स्वय या अपने एजेन्टो नौकरो परवालो या अन्य मददगारान के दवामि तौर से पाबंद रहे एव प्रतिवादी सं० 36 बहैसियत उपपंजीयन अधिकारी भूमि मुतदाविया की बाबत पेश किये जाने वाले किसी भी रहननामा बयनामा आदि को पंजीयन करने से एव बहैसियत भूअभिधारी तहसीलदार भूमि के राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार की तब्दीली करने से स्वय व अपने अधिनस्थ कर्मचारीयों के पाबंद रहें। मौके व राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थित बनाये रखे। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता० 33 से दिलाया जावे । अन्य दादरसी जो करीने इंसाफ बहक वादी हो और अता फरमायी जावे।

बाद वादी दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रकरण में दिनांक 04.03. 2020 मु.न. 92/2017 किसन लाल बनाम जगदीश, मु0न. 111/2017 किशन बनाम अनिल .140/2017 जगन लाल बनाम चिरंजीलाल प्रस. 46/16 प्रेम चन्द बनाम जगन लाल कन्सोलिटेडेट किया गया तथा प्रकरण में प्रकरण जगदीश बनाम किशन लाल दिनांक 17.11. 2022 को कन्सोलिडेट किये गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 27 से 33 की ओर से जवाब दावा निम्न प्रकार पेश किया गया। प्रतिवादी 27 से 33 की ओर से जवाब दावा निम्न लिखित प्रस्तुत है – दावे हाजा का पैरा नम्बर 01 में वादी एंव प्रतिवादी का एक ही खानदान के लोग होना स्वीकार है परन्तु सिजरा खानदान में सभी को पक्षकार वारिसान नही बनाया गया है। यही वजह गलत होने से अस्वीकार है क्योंकि गोविन्दा की एक पुत्री रामप्यारी को सिजरा खानदान में दर्शित नही किया है। दावे हाजा के पैरा नम्बर 02 में भौरया, बद्री, खेलना, बुद्धा व गोविन्दा की शामलाती पैतृक भूमि खाता संख्या 3 में सभी 1/5, 1/5, के हिस्सेदार होना तथा प्रतिवादी संख्या जो बद्री के वारिसान है ने गलत खातेदारी खुलवाना स्वीकार है। दावे का पैरा नम्बर 03 गलत है खातेदारी खुलवाना व सभी भौरया, बद्री, खेमला,

नकलक [illegible] (
 [illegible])
[illegible]